

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी ऑफ द डे

पीआरवी 9924 पिकअप द्वारा मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने से हुई दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया

अस्पताल- पीआरवी 9924 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत भगता चौराहा के पास पिकअप द्वारा मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारने के कारण मोटरसाइकिल चालक श्री सुरेन्द्र यादव निवासी बेड़रवा, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर के घायल होने के संबंध में कॉलर द्वारा सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया। साथ ही घटना के संबंध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल व्यक्ति को समय से उपचार हेतु अस्पताल पहुँचाया गया, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ— आरक्षी विशाल यादव, होमगार्ड चालक गौरव राय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 281 वाहनों से 4,09,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 281 वाहनों से 4,09,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 02 बैटरी, 01 इन्वर्टर व चोरी में प्रयुक्त बोलेरो बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दुबे के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 13.10.2026 को मु0अ0सं0 939/2026 धारा 305,331(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता अंकित कुमार तोमर पुत्र अनेक सिंह निवासी ग्राम गुटला शमसाबाद रोड़ थाना एकता जनपद आगरा को औद्योगिक क्षेत्र में शमशान घाट के पास के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 939/2026 में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया है।

घटना विवरण:- दिनांक 11.10.2026 को वादी श्री सैय्यद आकिब अली पुत्र सैय्यद शाकिब अली, निवासी मोहल्ला पठान टोला, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनकी बगहिया चौराहा, खलीलाबाद स्थित इण्डियन सोलर एनर्जी नामक दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। वादी के अनुसार, दिनांक 06.09.2026 को वह शाम लगभग 07:30 बजे दुकान बंद करके घर चले गए थे। अगले दिन दिनांक 07.09.2026 को सुबह लगभग 10:30 बजे दुकान खोलने पहुँचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला तथा दुकान से 06 अदद इन्वर्टर एवं 11 अदद बैटरी चोरी हो चुकी थीं। उक्त प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 939/2026 धारा 305,331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

❖ अंकित कुमार तोमर पुत्र अनेक सिंह निवासी ग्राम गुटला शमसाबाद रोड़ थाना एकता जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण:-

- ❖ 02 अदद चोरी की बैटरी
- ❖ 01 अदद चोरी की इन्वर्टर
- ❖ 01 अदद चोरी में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी

पूछताछ विवरण:- पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अंकित कुमार तोमर बताया। पूछताछ में उसने अपने दो साथियों रवि बघेल एवं पवन के साथ दिनांक 06/07.09.2026 की रात्रि में खलीलाबाद क्षेत्र में हाईवे की दक्षिणी सर्विस लेन के किनारे स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर 11 बैटरी एवं 06 इन्वर्टर चोरी करने की बात स्वीकार की। उसने बताया कि वे लोग गैर जनपदों में रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा चोरी का सामान सस्ते दामों पर बेचकर प्राप्त धनराशि आपस में बाँट लेते हैं। अभियुक्त की निशानदेही पर बोलेरो गाड़ी की जाँच करने पर डिग्गी में सीटों के बीच से 02 अदद बैटरी एवं 01 अदद इन्वर्टर बरामद हुआ, जिसे उसने पूर्व में चोरी किए गए सामान का शेष हिस्सा बताया। गाड़ी पर आगे-पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी। अभियुक्त ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए वे लोग नंबर प्लेट हटाकर रखते हैं तथा अपने मोबाइल फोन घर पर छोड़कर आते हैं।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री इशान्शु श्रीवास्तव, का0 श्याम नारायण, का0 सुनील कुमार पाल, का0 मो0 आरिफ खान, का0 राजन, का0 अंकित पाल।

थाना मुहली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष मुहली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना मुहली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 428/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को पीड़िया बाजार के पास से 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

❖ जय हिंद पुत्र जगदंबा सिंह निवासी पीड़िया बाजार थाना मुहली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी:-

❖ 600 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री ध्रुव नारायण यादव, हे0का0 आनंद दुबे, का0 सूर्यनारायण गुप्ता।